"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 12 जून 2014—— ज्येष्ठ 22, शक 1936

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक 1–37 / 2007 / 12.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा, छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, – .

(1) अनुसूची–तीन के सरल कमांक 2 के कॉलम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।

(2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल / संस्था / शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) मुद्रलेखन परिषद से:–

(क) शीघ्रलेखक (हिन्दी) के लिये– हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी) ।

(ख) शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के लिये– अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी) ।

(ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये– ऊपरोक्त खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) पाठ्यक्रम प्रमाणपत्र उत्तीर्ण और शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 100 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी) ।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी)।"

(2) अनुसूची–तीन के सरल कमांक 3 के कॉलम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।

(2) हिन्दी शीघ्रलेखन (शार्टहैण्ड) में 60 शब्द प्रति मिनट की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी) ।

(3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र तथा डाटा एण्ट्री की गति 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटा (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी) ।"

(3) अनुसूची–तीन के सरल कमांक 4 के कॉलम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण,

अथवा

पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यकम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण ।

(2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र ।

(3) कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिये कौशल परीक्षा ली जाएगी) ।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप–सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 12 जून 2014

क्रमांक एफ 1–37/2007/12.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12 जून, 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप–सचिव.

Naya Raipur, the 12th June 2014

NOTIFICATION

No. F 1-37/2007/XII.– In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Geology and Mining, Class III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2008, namely :-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules, -

(1) For column (5) of serial number 2 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely, -

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with first year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) From any recognized Board/ Institute /Stenography (Shorthand) Typing Council :-

(a) **For Stenographer (Hindi)** - Passed Hindi Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(b) For Stenographer (English) - Passed English Stenography (Shorthand) Certificate Examination and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(c) For Bilingual Stenographer - Passed Cirtificate Course of Hindi and English Stenography (Shorthand) as specified in clause (a) and (b) above and 100 words per minute speed in Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data entry 10,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

(2) For column (5) of Serial number 3 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with first year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) Speed of 60 words per minute in Hindi Stenography (Shorthand) (efficiency test for speed shall be taken).

(3) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of data Entry 5,000 (Key) depression per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

(3) For Column (5) of Serial number 4 of Schedule-III, the following shall be substituted, namely :-

"(1) Passed (10+2) Examination from any recognized Board,

OR

Passed old Higher Secondary Examination with first year examination of Graduation Course from any recognized University.

(2) One year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute.

(3) In Hindi Computer Typing 5,000 (Key) depression speed per hour (efficiency test for speed shall be taken)."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.